

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2017-फाल्गुन 5, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

NOTICE

Appli. Adv. Mr. P.K.KA. Patel

BEFORE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL (AUX), ADDITIONAL DISTRICT
AND SESSIONS COURT, MR. B. G. DAVE SAHEB, KHEDA AT NADIAD. (GUJARAT)

M. A. C. P. No. 385/2015

Applicant :- Rupsinh Raysinh Vaghela

At-Near Gujrati School, Post Gandhipura, Ta. Di. Kheda.

versus

Parties of Moter Truck No. M.P.09 H.G. 0476.

Opponent :- 1. ShitalKuar Gurmatsing Arora

At-Vishnupuri, Post Indore (Madhya Pradesh)

FIXED ON :- 17 March, 2017

The aforesaid opponent no. 1 is hereby informed that the above named applicant has filed this M. A. C. P. U/s. 166 case against you, for recovery of compensation of Rs. 4,00,000/-. You are therefore hereby informed to remain present on this Date 17 March, 2017 with all your written documents upon which you rely.

you are hereby given this notice that if you will not remain present on the above said date, the matter will be heard and decided in your absence.

You are hereby also given this notice that on the above said fixed date on or before it, if you will fail to furnish your address, no attention will be given on you defence, which may please be noted.

Given under my hand and seal of the Tribunal, on this 8th day of February, 2017.

Prepared By:

(S. A. Roy)

Assistant.

Addl. District Court,
Kheda at Nadiad.

(681-B.)

Compared By:

(K. J. PANCHAL)

Supritendent.

Addl. District Court,
Kheda at Nadiad.

By Order:

(H. S. VAGHELA)

Deputy Registrar.

M.A.C.T. Branch,
District Court,

Kheda at Nadiad. Gujarat

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2017

क्र. 98.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का क्रमांक 6) की धारा-12 की उपधारा 3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

विनियम

उक्त विनियमों के विनियम 6 में, उप विनियम (क) के खण्ड 1 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात:-

"1. बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा सीधी भरती द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करके."

(682-B.)

NOTIFICATION

Bhopal, Dated 31st January, 2017

No.- 98.— In exercise of the powers conferred by sub-section 3(A) of section 12 of the water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Board with the Prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class III) (Recruitment and Condition of Service) Regulations, 1996, namely:-

AMENDMENT

In the said regulations, in regulation 6, for clause 1 of sub regulation (a) following clause shall be substituted, namely:-

"1. By direct recruitment by a selection committee constituted by the Board or by conducting competitive examination."

By order of the M. P. Pollution Control Board,

A.A. MISHRA,

Member Secretary.

(682-A-B)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रेणुका मिंज अंकित है, विवाहोपरांत मुझे रेणुका तिकी पत्नी श्री सुनील तिकी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में रेणुका तिकी पढ़ा जाये एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(रेणुका मिंज)

(683-बी.)

नया नाम :

(रेणुका तिकी)

95 मनोहर इनक्लेव सिटी सेन्टर,
ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, गोविन्द प्रसाद यादव आ. श्री देवचंद यादव, सूचित करता हूँ कि भूलवश मेरा नाम गोविन्द सिंह हो गया है, दोनों नाम मेरे ही हैं, मुझे अब गोविन्द प्रसाद यादव, निवासी-बी-19, ओम शिवनगर, लालघाटी, भोपाल के रूप में जाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(गोविन्द सिंह आ. देवचंद यादव)

(गोविन्द प्रसाद यादव आ. देवचंद यादव)

(684-बी.)

निवासी- बी-19, ओम शिवनगर,
लालघाटी, भोपाल.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. अनिता दशपुत्रे पिता श्री श्रीकृष्ण दशपुत्रे था. मेरा विवाह हिन्दू रीति से 14 फरवरी, 1990 को श्री मदन पवनीकर के साथ भोपाल में सम्पन्न हुआ था जिसके बाद मेरा नाम श्रीमती सुप्रिया पवनीकर पत्नी श्री मदन पवनीकर हो गया है. अतः अब मुझे श्रीमती सुप्रिया पवनीकर पत्नी श्री मदन पवनीकर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम :

नया नाम :

(अनिता दशपुत्रे)

(सुप्रिया पवनीकर)

(685-बी.)

एच-92/68 तुलसी नगर,
भोपाल.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कौशल सिंह पुत्र श्री भारत सिंह है. मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम एहवरन सिंह पुत्र श्री भारत सिंह नाम अंकित है. मेरे सामाजिक, राजनैतिक, व्यवसाय कार्य भार में कौशल सिंह पुत्र श्री भारत सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता है.

अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम कौशल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

नया नाम :

(एहवरन सिंह)

(कौशल सिंह)

पुत्र श्री भारत सिंह,

पुत्र श्री भारत सिंह,

(686-बी.)

निवासी-ग्राम रंचोली थाना नूराबाद,
जिला मुरैना.**CHANGE OF NAME**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम मानवेन्द्र गोयल (MANVENDRA GOYAL) से परिवर्तित होकर मेरा नया नाम मानवेन्द्र (MANVENDRA) हो गया है. अतः मुझे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

नया नाम :

(मानवेन्द्र गोयल)

(मानवेन्द्र)

(687-बी.)

पता-मकान नं.-पी-30, भदभदा मार्ग, पुलिस रेडियो
कॉलोनी, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल 462003.**CHANGE OF NAME**

I Shikha Manish Baid hereby declare that I Have changed my name as Shikha Manish Baid after my marriage from Shikha Mangalchand Kothari So i will be known and addressed as Shikha Manish Baid Now.

OLD NAME :

NEW NAME :

(Shikha Mangalchand Kothari)

(Shikha Manish Baid)

(688-बी.)

Add: 41., Panchvati, Janki Nagar,
Indore-452001

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश चतुर्वेदी सूचित करता हूँ कि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम जगदीश त्यागी दर्ज है वास्तव में मेरा नाम जगदीश चतुर्वेदी है. दोनों नाम मेरे ही हैं, आगे से मुझे जगदीश चतुर्वेदी के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(जगदीश त्यागी)

(689-बी.)

नया नाम :

(जगदीश चतुर्वेदी)

मकान नं.-04 सूरजनगर, एयरपोर्ट रोड
सिंगार चोली, भोपाल.

नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम संतोष कुमार (SANTOSH KUMAR) आत्मज जगनलाल जैन था. अब मैंने नाम परिवर्तित कर संतोष कुमार जैन (SANTOSH KUMAR JAIN) हो गया है. अतः मुझे संतोष कुमार जैन (SANTOSH KUMAR JAIN) आत्मज जगनलाल जैन के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(संतोष कुमार)

(690-बी.)

नया नाम :

(संतोष कुमार जैन)

पता: एम. आई. जी.-11, हर्षवर्धन नगर,
भापोल.

नाम परिवर्तन

मैंने अपना अविवाहित काल का पुराना नाम रेशमा बतरा के स्थान पर नया नाम मेरा विवाह भारत धामेचा के साथ दिनांक 19 नवम्बर, 2013 को हो जाने के कारण रीति-रिवाजों अनुसार नया नाम- मानसी धामेचा ग्रहण कर लिया है सो मुझे मेरे परिचित, रिश्तेदार, समाजजन पुराने नाम रेशमा बतरा के स्थान पर नये परिवर्तित नाम मानसी धामेचा के नाम से जाने, पहचाने व पुकारें.

पुराना नाम :

(रेशमा बतरा)

(691-बी.)

नया नाम :

(मानसी धामेचा)

पति भारत धामेचा,
मकान नं. 27, विकास नगर 14/1,
नीमच, जिला नीमच.

CHANGE OF NAME

This is to be informed that earlier Before Marriage my name was Kalpna Paunikar D/o Shri Anand rao Paunikar which has been Changed after Marriage to Neha Kapade W/o Shri Kishore Kapade So as I must be known by this name only.

OLD NAME :

(Kalpna Paunikar)

(692-बी.)

NEW NAME :

(Neha Kapade)

W/o. Shri Kishore Kapade,
305, Snehdeep Apartment,
38 Narayan Bag Indore.

CHANGE OF NAME

I declare that Before My Name was Gokul Sisodia. I have changed My Name as Gokul Sisodia to Gokul Singh Sisodia In future I will be known as New Name Gokul Singh Sisodia.

OLD NAME :

(Gokul Sisodia)

(700-बी.)

NEW NAME :

(Gokul Singh Sisodia)

Add: Flat No. 101 Ravi Ratan palace
1-A Prem Nagar, Manik Bag, Road,
Indore. 452007

CHANGE OF NAME

I KAPIL WADHWANI S/o SHYAMLAL WADHWANI HNO-72 Parshav Pavilion E-8 Bawadiya Kala Bhopal Change My Name from KAPIL WADHWANI TO KAPEEL WAADHWWANI for all Future Purposes.

OLD NAME :

(KAPIL WADHWANI)

(699-बी.)

NEW NAME :

(KAPEEL WAADHWWANI)**सार्वजनिक सूचना**

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा-72 के तहत आम सूचना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स रामकन्यादेवी इन्फ्रास्ट्रक्चर 42/18, नानक नगर, पिपलियाराव, इन्दौर की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन किया गया है.

सम्मिलित होने वाले साझेदार के नाम और पता एवं उनके फर्म में सम्मिलित होने की दिनांक 17 जनवरी, 2017.

1. श्रीमती उषा गोस्वामी पति श्री राजेश गोस्वामी, पता:- 135-बी, सूर्यदेव नगर, इन्दौर.
2. श्री महेश जोशी पिता श्री ओमनारायण जोशी, पता:- 10, कंधारी नगर, बंगाली चौराहा, इन्दौर.
3. श्री कमल पुरी गोस्वामी पिता श्री रमेश पुरी गोस्वामी, पता- 160/2, अहिल्यापुरी, भंवरकुंआ, इन्दौर.

पुराना पता - 42/18, नानक नगर, पीपल्याराव, इन्दौर

नया पता - 135-बी, सूर्यदेव नगर, इन्दौर

नियमित पार्टनर - प्रियंका पुरी गोस्वामी, पता:- 160/2, अहिल्यापुरी भंवरकुंआ, ए. बी. रोड, इन्दौर

निकलने वाले साझेदार का नाम :-

1. रमेशपुरी गोस्वामी पिता शंकरपुरी गोस्वामी
पता :- 160/2, अहिल्यापुरी, इन्दौर
 2. कृष्णा गिरी पिता मगन गिरी,
पता :- 160/2, अहिल्यापुरी, इन्दौर
 3. सुनिल गिरी गोस्वामी पिता कैलाश गिरी गोस्वामी
पता :- 160/2, अहिल्यापुरी, इन्दौर
- दिनांक : 17 जनवरी, 2017

(693-B.)

For Ramkanyadevi Infrastructure

उषा गोस्वामी,
(पार्टनर),

जाहिर सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन

सर्वसूचित हो कि फर्म मेसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स एक पंजीयन फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/02/0140/15 (सन् 2015-16) है. इस फर्म का पता मकान नं. 2, सूर्या कॉलोनी, राम नगर कॉलोनी के पास, इंदगाह हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश है. इस फर्म में से श्रीमती शारदा शर्मा पति स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल एम. एल. शर्मा, प्रथक हो गई हैं.

अतएव दिनांक 09 फरवरी, 2017 से मेसर्स ए. एस. पी. एण्ड एसोसिएट्स फर्म में अब क्रमशः श्री आरूल शर्मा पचौरी एवं श्री अरनव शर्मा पचौरी भागीदार हैं.

(694-बी.)

एम. पी. उपाध्याय,
(एडवोकेट),
4, अलकनन्दा कॉम्प्लेक्स जोन-1, एम. पी. नगर
भोपाल.

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप, फर्म, आई. डी. क्रमांक 042012011 फर्म पात्रका ELGC 4697 दिनांक 20 जुलाई, 2011 आसरा कान्स्ट्रक्शंस (AASRA CONSTRUCTIONS) पता बजरिया नंबर 1, दमोह के नाम से पंजीकृत थी जिनमें तीन पार्टनर निम्नानुसार थे.

1. श्री अब्दुल हनीफ गौरी पिता स्व. श्री इद्दू खान
2. श्री उवेद अहमद गौरी पिता श्री अब्दुल हनीफ गौरी
3. श्रीमती निगहत बेगम पत्नि श्री उवेद अहमद गौरी

सभी निवासी बजरिया नंबर 1, दमोह के थे. प्रथम भागीदार श्री अब्दुल हनीफ गौरी का देहांत होने के कारण अब उनके पोते श्री सऊद अहमद गौरी (सिविल इंजीनियर) पिता श्री उवेद अहमद गौरी निवासी बजरिया नंबर 1, दमोह को नये भागीदार स्वरूप शामिल किया जा रहा है.

पार्टनरशिप फर्म

M/S. AASRA CONSTRUCTIONS

निगहत बेगम,

बजरिया नंबर 1, दमोह

(695-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुभ आक्साइड 1204, स्टेट बैंक कॉलोनी, हाथीताल, जबलपुर पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0236/16 सन् 2015-16 दिनांक 27 जनवरी, 2016 से पंजीयत है जिसमें 3 भागीदार क्रमशः (1) श्रीमती माला कानोडिया पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश कानोडिया (2) श्रीमती पूजा अग्रवाल पत्नी श्री अनूप अग्रवाल एवं (3) श्री गौरव कानोडिया पुत्र श्री ज्ञान प्रकाश कानोडिया हैं, उक्त भागीदारों ने फर्म में तीन नये भागीदारों (1) श्री जसजीत सिंह वालिया पुत्र श्री मदनजीत सिंह वालिया (2) श्रीमती नन्ही जे. एस. वालिया पत्नी श्री जसजीत सिंह वालिया एवं (3) श्री शरद जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ताराचंदजी जैन को दिनांक 25 मार्च, 2016 को सम्मिलित किया है फर्म का वर्तमान पता यथावत रहेगा, यदि किसी को भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो सात दिवस के अंदर फर्म के कार्यालय से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें.

संजीव चतुर्वेदी,

(अधिवक्ता)

राईट टाउन, जबलपुर.

(696-B.)

आम सूचना

आम जनता को भागीदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री हरि इन्टरप्राइजेस, 284-285, साकेत नगर, इन्दौर एक भागीदारी फर्म है, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00023/2006 दिनांक 03 जून, 2006 है. फर्म में दिनांक 01 अगस्त, 2012 को दो नवीन भागीदार श्री निखिल भाई पटेल पिता श्री भास्कर भाई एवं श्री श्वेतांक श्रीमाल पिता श्री पवन श्रीमाल को दिनांक 01 अगस्त, 2012 से सम्मिलित किया गया है तथा तदुपरांत फर्म के एक भागीदार श्री भास्कर भाई पटेल पिता स्व. श्री आपाभाई पटेल का स्वर्गवास दिनांक 11 नवम्बर, 2012 को हो जाने से वे फर्म से पृथक हो गये हैं. उक्त फर्म शेष तीन भागीदारों द्वारा संचालित की जा रही है. जो सूचित हों.

तर्फे

फर्म मे. श्री हरि इन्टरप्राइजेस

पवन श्रीमाल,

284-285, साकेत नगर, इन्दौर

(697-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ कैलादेवी ऑयल इण्डस्ट्रीज, स्थित भीम नगर, अटेर रोड, पोरसा, जिला मुँरैना मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/04/00190/10 दिनांक 25 नवम्बर, 2010 है जिसमें दिनांक 12 जनवरी, 2017 को भागीदार श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री नत्थीलाल गुप्ता निवासी सदर बाजार, पोरसा, जिला मुँरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म- माँ कैलादेवी ऑयल इण्डस्ट्रीज,

सीताराम गुप्ता,

(भागीदार).

द्वारा-हरिओम शर्मा (एडवोकेट), ग्वालियर

(698-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all persons that following amendment have been made in Partnership Firm VEENAYAK ENTERPRISES. having its place of business at H. No. 19. DWARKAPURI, KOTRA ROAD, BHOPAL (M.P.) incorporated on 30th day of June, 2014 and registered vide registration No. 01/01/01/00181/14 Dated 18th July 2014 with Registrar of Firms Bhopal:-

1. That SHRI SHASHI TIWARI S/o Shri R. N. Tiwari had retired from Firm vide Amendment in Partnership Deed Dated 12th January 2017.

2. That SHRI VINAY SHARMA S/o Shri A. N. Sharma had admitted into Partnership Firm vide Amendment in Partnership Deed Dated 12th January 2017.

Abhishek Tripathi,

(Partner).

(701-बी.)

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

कार्यालय कलेक्टर, जिला गुना

गुना, दिनांक 24 जनवरी, 2017

क्र.-एस. सी./9-20-23/04/95.-सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेश जैन कलेक्टर, जिला गुना वर्ष 2017 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश पूर्ण दिवस के निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

क्रमांक	अवकाश का दिनांक	दिन	पर्व/त्यौहार
1.	17 मार्च, 2017	शुक्रवार	रंगपंचमी
2.	25 अगस्त, 2017	शुक्रवार	गणेश चतुर्थी
3.	20 अक्टूबर, 2017	शुक्रवार	दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

राजेश जैन,

कलेक्टर.

(544)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक, जिला छतरपुर

प्र.क्र.02/बी-113/2016-17

छतरपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट) अनुविभाग छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि:-

क्र.	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री जुझार सिंह तनय कम्मोद सिंह	सर्कट हाउस के पीछे छतरपुर	अध्यक्ष
2.	श्री बालमुकुन्द असाठी तनय बी. एन. असाठी	सनसिटी कॉलोनी छतरपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामकिशोर तनय भवानीदीन तिवारी	चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर	सचिव

1	2	3	4
4.	श्री अवधेश महतेले तनय तुलसीदास	संस्कार वाटिका छतरपुर	कोषाध्यक्ष
5.	श्री रामप्रकाश अग्रवाल तनय हरीनारायण अग्रवाल	गुरुद्वारा के पास छतरपुर	सदस्य
6.	श्री अनिल कुमार गुप्ता तनय श्री सञ्जन गुप्ता	मैथलीशरण स्कूल के पास छतरपुर	सदस्य
7.	श्री विनोद कुमार खरे तनय पुरुषोत्तमदास खरे	सटई रोड छतरपुर	सदस्य
8.	श्रीराम यादव तनय दसियां यादव	नरसिंहगढपुरवा छतरपुर	सदस्य
9.	श्री रमाशंकर पाण्डेय तनय स्व. रामचरन पाण्डेय	हनुमान टौरिया के पीछे छतरपुर	सदस्य
10.	श्री भगवतशरण रिछारिया तनय तुलसीदार रिछारिया	चेतगिरी कॉलोनी छतरपुर	सदस्य
11.	श्री देवीदयाल बिसवारी तनय रामकिशोर बिसवारी	तमराई मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
12.	श्री राधिका गुप्ता तनय रामकिशोर गुप्ता	छतरपुर	सदस्य
13.	श्री मनोज गुप्ता तनय अवधविहारी गुप्ता	चौक बाजार छतरपुर	सदस्य
14.	श्री अवधेश दीक्षित तनय बी. पी. दीक्षित	वार्ड नम्बर 39 छतरपुर	सदस्य
15.	श्री श्यामविहारी अग्रवाल तनय शोभालाल अग्रवाल	कोतवाली के पास छतरपुर	सदस्य
16.	श्री लक्ष्मीप्रसाद पिपरसानियां तनय रमनलाल	चन्द्रशेखर वार्ड छतरपुर	सदस्य
17.	श्री संतोष गुप्ता तनय ओमप्रकाश गुप्ता	विहारी मार्ग छतरपुर	सदस्य
18.	श्री प्रमोद साहू तनय रमेश साहू	टौरिया मार्ग छतरपुर	सदस्य
19.	श्री अनिल बरसैया तनय रामविशाल	विहारी मार्ग छतरपुर	सदस्य
20.	श्री साबंत गुप्ता तनय जगदीश गुप्ता	गायत्री कॉलोनी संस्कार वाटिका के पीछे छतरपुर.	सदस्य
21.	श्री विनोद प्रकाश मिश्रा तनय चन्दमोल मिश्रा	सीताराम कॉलोनी छतरपुर	सदस्य
22.	श्री आशुतोष खरे तनय जगदीशप्रसाद खरे	सिटी कोतवाली के पास छतरपुर	सदस्य
23.	श्री महेश असाटी तनय रामदयाल असाटी	वार्ड नम्बर 14 छतरपुर	सदस्य
24.	श्री भोले नोगरिया तनय श्री मोहनलाल	गायत्री मंदिर के पास छतरपुर	सदस्य
25.	श्री नन्दकिशोर यादव तनय के. एल. यादव	चौबे कॉलोनी छतरपुर	सदस्य
26.	श्री संतोष कुमार गुप्ता तनय रामकिशोर	शुक्लाना मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
27.	श्री लखनलाल त्रिपाठी तनय फेरन प्रसाद	शांति नगर कॉलोनी छतरपुर	सदस्य
28.	श्री राजेश कुमार गंगेले तनय स्व. भगवानदास गंगेले	चौबे कॉलोनी छतरपुर	सदस्य
29.	श्री सुनील असाटी तनय शिवचरण असाटी	असाटी मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
30.	श्री मुन्नीलाल विश्वकर्मा तनय स्व. जुगलप्रसाद विश्वकर्मा.	एम. ओ. 45 एम. ओ. एच. ई. एस. एफ. टाईप क्वार्टर गिरजावार्ड, जबलपुर.	सदस्य
31.	श्री हरगोविन्द गुप्ता तनय स्व. ग्यासीलाल गुप्ता	पिपरसानियां मुहल्ला छतरपुर	सदस्य
32.	श्री बल्लभदास जी महाराज गुरु पिता श्री रामहर्षणदास जी महाराज.	ग्राम पौडी, जिला सतना	संरक्षक

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री रामजानकी मंदिर लोक न्यास छतरपुर मध्यप्रदेश पठापुर रोड छतरपुर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पत्र पर दिनांक 09 मार्च, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की दिनांक से प्रकरण में नियत दिनांक 09 मार्च, 2017 के अंदर इस न्यायालय में न्यालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. अपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री रामजानकी मंदिर लोक न्यास छतरपुर, पठापुर रोड छतरपुर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	श्री रामजानकी मंदिर एवं उसके परिषर की भूमि.
चल संपत्ति	:	

क्र.	सामान का नाम एवं संख्या	क्र.	सामान का नाम एवं संख्या	क्र.	सामान का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	घण्टा - 08 नग	9.	विमान - 01 नग	16.	नखत - 01 नग
2.	बक्शा - 02 नग	10.	फर्स - 05 नग	17.	पंखा - 06 नग
3.	मशीन आरती - 01 नग ऑटोमेटिक.	11.	हारमोनियम - 01 नग	18.	माईक - 01 नग
4.	मंजीरा - 02 नग	12.	दान-पेटी - 01 नग	19.	झूला - 02 नग
5.	आरती - 01 नग	13.	जोत - 02 नग	20.	झालर पीतल - 04 नग
6.	शंख - 01 नग	14.	मुकुट - 02	21.	थाली - 03 नग
7.	कटोरा गिलास - 10 नग	15.	गैस सिलेण्डर - 01 नग	22.	अलमारी - 01 नग
8.	नगद राशि 23,000/-				

डी. पी. द्विवेदी,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(545)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास उपखण्ड-सिंगोली, जिला नीमच

प्र.क्र. 1/बी-113(1)/2016-17

प्रोसेस नं. 45

दिनांक 04 फरवरी, 2017

प्रारूप क्रमांक - 4

[नियम 5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का (1951 का 30) ओर मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1)) के द्वारा]

आवेदक श्री चारभुजा नाथ मंदिर प्रबंध समिति अथवाबुजूर्ग तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 17 मार्च, 2017 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री चारभुजा नाथ मंदिर प्रबंध समिति अथवाबुजूर्ग तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश.
संपत्ति का विवरण	:	1. श्री चारभुजा नाथ का भवन उत्तर रूखी दरवाजे स्थित ग्राम अथवाबुजूर्ग तहसील सिंगोली स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 84 रकबा 1.011 हे., सर्वे क्र. 161 रकबा 0.174 हे., सर्वे क्र. 171 रकबा 0.271 हे., सर्वे क्र. 172 रकबा 0.595 हे. कुल रकबा 2.051 हे.

2. मंदिर के कुल 15 नग सभी चांदी के वजन 1. 500 ग्राम (मुकुट नग-2, हाथ नग-2, पैर नग-2, कमर पेटा नग-2, ढाल नग-1, तलवार नग-1, भाला नग-1, छतर नग-4, मूँछा नग-1).

3. बैंक में जमा राशि रु. 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रुपये मात्र,

गरिमा रावत,

अनुविभागीय अधिकारी एवं उप-पंजीयक.

(546)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास आगर, जिला आगर

रा.प्र.क्र.02/बी-113/2015-16क्रमांक/लोकन्यास/2017/

आगर, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]

प्रारूप क्र. 4

[नियम 5(1) देखें]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर जिला आगर मालवा के समक्ष

आवेदक घनश्याम मंगल निवासी कानड तहसील आगर, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट कस्बा कानड तहसील आगर जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 22 फरवरी, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिये लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम : श्री कनकेश्वर महादेव मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट कस्बा कानड तहसील आगर जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये-491149.00 नगदी (अक्षरी रुपये चार लाख इंकाणु हजार एक सौ उनपचास मात्र).

मिलिंद ढोके,

लोक न्यास का पंजीयक.

(547)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, रायसेन

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट खंडेरा, रायसेन

जैसा कि श्री राधा कृष्ण मंदिर स्मृति न्यास ग्राम खंडेरा तहसील व जिला रायसेन मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन पत्र सूचि में दर्शाए संपत्ति के अनुसार प्राईवेट ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2017 को विचार में लिया जायेगा कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में 2 प्रतियों में सूचना के प्रकाशन में 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : श्री राधा कृष्ण मंदिर स्मृति न्यास ग्राम खंडेरा तहसील व जिला रायसेन मध्यप्रदेश.

वरुण अवस्थी,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(548)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2016-17

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951, (क्रमांक 30-1951) की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास, बडवाहा

चूंकि प्रार्थी श्री नरेन्द्र पिता हरिप्रसादजी व्यास निवासी सनावद, तहसील सनावद, जिला-खरगौन की ओर से "बावीसा ब्राह्मण समाज पारमार्थिक ट्रस्ट" के नाम से कस्बा सनावद तहसील सनावद, जिला खरगौन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिध के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1	2	3	4	5
1.	नगद	11,000.00 रुपये
2.	अचल सम्पत्ति

एम.आर. धुर्वे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(549)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंजीयक लोक न्यास मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

फार्म-चार

रा.प्र.क्र.02/बी-113/2016-17

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर आवेदक श्री श्यामसुंदर पिता श्री कैलाशचंद जी शर्मा निवासी श्रीनगर कॉलोनी डी. एच. हास्पिटल, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर न्यास के अध्यक्ष द्वारा माँ रेवा गौ सेवा ट्रस्ट, मण्डलेश्वर तहसील महेश्वर, जिला खरगौन मध्यप्रदेश का पंजीयन किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है। यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आपत्ति/सुझाव मान्य नहीं किया जावेगा।

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | माँ रेवा गौ सेवा ट्रस्ट, मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश |
| 2. न्यास का पता | : | श्रीनगर कॉलोनी मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश |
| 3. चल संपत्ति | : | 21,000/- (इक्कीस हजार रुपये मात्र) |
| 4. अचल संपत्ति | : | निरंक |

यह सूचना आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

बी. एस. सोलंकी,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(550)

न्यायालय पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड गरोठ, जिला मंदसौर

प्र.क्र.01/बी-113/16-17

क्रमांक224/रीडर-1/16-17

गरोठ, दिनांक 27 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री माणकचन्द नाहर निवासी तहसील भानपुरा, उपखण्ड गरोठ, जिला मंदसौर द्वारा मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोकन्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया गया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को विचार के लिये दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोकन्यास को दे जिसका वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड गरोठ लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 जुलाई, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह आपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तों व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधी की समाप्ती के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को ग्राहण करने के लिये विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोकन्यास का नाम और पता : श्री करण पार्श्वनाथ जयानन्द श्रीयंत्र जैन ट्रस्ट ग्राम अन्त्रालिया तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर मध्यप्रदेश.
2. चल संपत्ति : 12,600/- अक्षरी रुपया बारह हजार छः सौ नगदी धनराशि.

मन्दिर में विराजीत प्रतिमाएं (प्रतिष्ठित)

क्र.	विवरण	क्रमांक	विवरण
1	2	3	4
1.	मूलनायक श्रीकरण पार्श्वनाथ भगवान श्री प्रतिमा	2.	श्री सुमितनाथ भगवान की प्रतिमा
3.	श्री शान्तिनाथ भगवान की प्रतिमा	4.	श्री पार्श्वयक्ष की प्रतिमा
5.	पद्मावती देवी की प्रतिमा	6.	श्री दादा गुरुदेव की प्रतिमा
7.	श्री नाकौडा भैरवनाथ की प्रतिमा	8.	अम्बिकादेवी की प्रतिमा
9.	प्रचिन भैरव की प्रतिमा		

चलायमान प्रतिमाएं

क्र.	विवरण	क्र.	विवरण	क्र.	विवरण
1.	अष्टधातु की प्रतिमाएं दो नग	2.	अष्टमंगल	3.	गट्टाजी

भगवान के आभूषण

क्र.	विवरण	क्रमांक	विवरण
1	2	3	4
1.	मूलनायकजी का मुकुट चांदी का वजन एक सौ पांच ग्राम	2.	मूलनायकजी के कुण्डल चांदी के वजन पैतालिस ग्राम
3.	तिगडाजी की रकम चांदी का छत्र व दण्डी वजन सित्तर ग्राम	4.	चांदी के छत्र कुल नौ नग कुल वजन दौ सौ चार ग्राम

1	2	3	4
5. पद्मावती देवी की सोने की चैन दो नग कुल वजन नौ ग्राम पाँच सौ मिलिग्राम.		6. पद्मावती देवी की सोने की टिकी एक नग	
7. पद्मावती देवी की नथ एक नग (इमिटेशन ज्वेलरी की)		8. पद्मावती देवी के पायजब व बछूडी एक-एक जोड़ कुल वजन अट्ठारह ग्राम.	
9. चाँदी का सिक्का दो नग कुल वजन चौदह ग्राम		10. भगवान के पुराने नैत्र एवं अन्य अंग	

अन्य सामान

क्र.	विवरण	क्र.	विवरण	क्र.	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	भण्डार (पेटी) तीन नग	2.	झुमर एक नग,	3.	झालर एक नग,
4.	चावल चढ़ाने का पाट एक नग	5.	पंखा चार नग	6.	ट्यूबलाईट छः नग
7.	स्टूल लोहें का एकनग	8.	पुराना तिगडा बैठक वाला एक नग	9.	बाल्टी तीन नग
10.	चरी एक नग	11.	धामा दो नग	12.	कलश छः नग
13.	पूजा की कटौरी व प्लेटें पन्द्रह जोड़	14.	कंडील एक नग	15.	कांच एक नग
16.	पंखा एक नग	17.	दीपक दो नग	18.	अगरबत्ती स्टेण्ड सात नग
19.	आरती एक नग	20.	मंगल दीपक एक नग	21.	आरती की थाली एक नग
22.	दीपक एक ढक्कन वाला एक नग	23.	दीपक बडा वाला एक नग	24.	मन्दिर के सामने रखने का लकड़ी का बोल्ट एक नग.
25.	अन्य बर्तन सामान आदि.				

3. अचल संपत्ति

ग्राम दुधाखेडी (अन्नालिया स्थित)

क्र.	विवरण
1	2
1.	कृषि भूमि सर्वे नम्बर 10/2 रकबा 0.550 लगान 1.79 रु.
2.	कृषि भूमि सर्वे नम्बर 10/3 रकबा 0.550 लगान 1.80 रु.
3.	कृषि भूमि सर्वे नम्बर 13/3 रकबा 0.540 लगान 2.02 रु.

अन्नालिया स्थित

क्र.	विवरण
1	2
1.	श्री करणपार्श्वनाथ मन्दिर लम्बाई 36 फिट व चौड़ाई 24 फिट
2.	कुशल भवन लम्बाई 52 फिट व चौड़ाई 34 फिट
3.	स्थानक भवन लम्बाई 16 फिट व चौड़ाई 16 फिट
4.	पुराना मन्दिर लम्बाई 80 फिट व चौड़ाई 38 फिट

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा

श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर ट्रस्ट,
गंजबासौदा द्वारा श्री विनोदकुमार शाह पुत्र देवजी शाह
निवासी नया बाजार, गंजबासौदा, जिला विदिशा

.....आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

समक्ष : पंजीयक लोक न्यास बासौदा.

आवेदक श्री विनोदकुमार शाह पुत्र देवजी शाह निवासी नया बाजार प्रस्तावित सचिव द्वारा श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर ट्रस्ट, गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

1. न्यास का नाम : श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर ट्रस्ट, गंजबासौदा जिला विदिशा.
2. न्यास का कार्यालय : श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर ट्रस्ट, गांधी चौक, गंजबासौदा, जिला विदिशा.
3. न्यास का कार्य क्षेत्र : जिला विदिशा
4. न्यास का उद्देश्य : जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक संघ गंजबासौदा के शास्त्र मान्य परंपरानुसार जिन मंदिर, जिन मूर्ति उपाश्रय आदि सात क्षेत्र तथा जीव दया अनुकंपा आदि धार्मिक खातों का संचालन करना तथा उनके फंडों को उनके अनुसार उपयोग करना मंदिर उपाश्रय आदि बांधना एवं उनकी व्यवस्था करना संरक्षण एवं निर्माण विकास में सहायक होना.
5. न्यास की चल संपत्ति : वर्तमान में संस्था के पास उपलब्ध राशि पंजाब नेशनल बैंक में संस्था का खाता क्रमांक 0680000100172511 में रुपए 284101/- जमा है. धन के आहरण का अधिकार किन्हीं दो ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा. किसी भी कार्य के लिए एक समय में 5000/- तक व्यय का अधिकार होगी.
6. न्यास की अचल संपत्ति : श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर निर्मित है.

अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक मंदिर ट्रस्ट, गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जावेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक फरवरी, 2017 नियत है.

आज दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

तृप्ति श्रीवास्तव,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(552)

कार्यालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट देपालपुर, जिला इन्दौर

(फार्म-चार)

देपालपुर, दिनांक 18 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक, ट्रस्ट नियम, 1962 नियम 5 के अंतर्गत]

क्र.76/री-2/2017.—आवेदक जूनाखेडाधाम सेवा न्यास प्रबंधक न्यासी श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर संत भगवानदास जी महाराज जूनाखेडा कटकदा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह (अर्थात् 30) दिन के अन्दर स्वयं अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं अचल संपत्ति का विवरण श्री मनकामनेश्वर खेड़ापति हनुमानधाम जूनागढ़ कटकोदा की अंचल संपत्ति कृषि भूमि खसरा नम्बर 100/1 पैकि रकबा 0.060 हे. भू-राजस्व 0.171 पैसा एवं चतुसीमा निम्नानुसार है पूर्व दिशा में- आवेदक की भूमि पश्चिम दिशा में-शंकर पिता भागीरथ निवासी कटकोदा की भूमि, उत्तर दिशा में हनुमान मंदिर, दक्षिण में-शंकर पिता काशीराम की भूमि स्थित है. जिसका बाजार मूल्य 30,000/- रुपये एवं 60,000/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक तहसील मार्ग देपालपुर में जमा है.

आज दिनांक 18 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से पारित किया गया.

नरेन्द्र नाथ पाण्डे,

अनुविभागीय अधिकारी.

(572)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खंडवा

प्र.क्र./बी-113(1)/2016-17

दिनांक 19 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

जैसा कि आवेदक श्री शैलेन्द्र जैन पिता श्री चांदूलाल जैन निवासी गांधी चौक मूंदी तहसील पुनासा द्वारा "श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" ग्राम बीड तहसील पुनासा, जिला खंडवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 07 फरवरी, 2017 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

1. सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता : "श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" ग्राम बीड तहसील पुनासा, जिला खंडवा,

अनुसूची "अ"

2. चल संपत्ति : 1. नगद राशि
2. ट्रस्ट के पास आयकर रिटर्न अनुसार नगद राशि

अनुसूची "ब"

3. अचल संपत्ति : 1. श्री दिगम्बर जैन मंदिर बीड
2. ग्राम बीड में आबादी क्षेत्र में टीन शेड का मकान जिसकी लम्बाई चौड़ाई पूर्व-पश्चिम में 20 फिट, एवं उत्तर दक्षिण में 16 फिट कुल क्षेत्रफल 320 वर्गफीट चतुसीमा पूर्व को जैन धर्मशाला, पश्चिम को बीड मूंदी रोड, उत्तर को जैन धर्मशाला, दक्षिण को धर्मचंद जैन का मकान.
3. धर्मशाला भवन
4. बैंक भवन
5. संत निवास बैंक के पीछे
6. परदेशीपुरा में छः खोलिया दान से प्राप्त

शीतला पटले,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(656)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक "माँ जानकी जनसेवा ट्रस्ट" का पता-101, शिवम अपार्टमेन्ट 89, श्रीनगर एक्सटेशन इन्दौर तर्फे सचिव श्रीमति चंचल अग्रवाल पति श्री दिलीप अग्रवाल पता-89, श्रीनगर एक्सटेशन इन्दौर के द्वारा माँ जानकी जनसेवा ट्रस्ट कार्यालय पता-101, शिवम अपार्टमेन्ट 89, श्रीनगर एक्सटेशन इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम	:	"माँ जानकी जनसेवा ट्रस्ट"
2. पता	:	101, शिवम अपार्टमेन्ट 89, श्रीनगर एक्सटेशन इन्दौर मध्यप्रदेश
3. अचल संपत्ति	:	निरंक
4. चल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(655)

अन्य सूचनाएं**कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल, शहडोल****प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-**

परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर के अंतर्गत परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर ने अपने पत्र क्र.1899, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक घोर्वे को प्रदाय पर्सनल हैमर जंगल भ्रमण के दौरान दिनांक 29 सितम्बर, 2016 को मोटर सायकल का लॉक खराब होने के कारण कहीं जंगल में गुम हो गया है। काफी छानबीन करने के बावजूद भी हैमर का कहीं पता नहीं चला। जिसकी सूचना थाना प्रभारी बुद्धार में दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। परिक्षेत्र सहायक घोर्वे के उक्त कृत्य के लिये कार्यालयीन पत्र क्र./माचि/11119, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। तत्संबंध में परिक्षेत्र सहायक घोर्वे द्वारा प्रतिउत्तर परिक्षेत्र अधिकारी जैतपुर के कार्यालयीन पत्र क्र.2165, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 से जवाब प्रस्तुत किया गया है प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने पर पाया गया कि तत्का. परिक्षेत्र सहायक घोर्वे द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही व असावधानी बरतने के कारण अपने आपको भागी बनाया गया है।

अतः उक्त हैमर न मिलने की स्थिति में यह आदेश देता हूँ कि:-

आदेश

आ.क्र./स्था/87-वन वित्तीय नियम की धारा 124 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित हैमर को अपलेखित किया जाता है, तथा श्री आनन्द प्रताप सिंह, वनपाल परिक्षेत्र सहायक घोर्वे, से उक्त हैमर का मूल्य रु 500.00 (रुपये पाँच सौ) मात्र एक मुश्त उनके वेतन से वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।

RA
28
SS

श्री आनन्द प्रताप सिंह, वनपाल परिक्षेत्र सहायक घोर्वे, को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत के चारित्रिक चेतावनी दी जाती है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हैमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हैमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 03 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा।

देवांशु शेखर,

वनमण्डलाधिकारी।

(654)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरवाया	AR/GWR/426 20 दिसम्बर, 2016	1063 30 मार्च, 2016
2.	माँ पीताम्बरा गृह उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	AR/GWR/400 26 नवम्बर, 2007	998 29 मार्च, 2016
3.	तानसेन फिल्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	AR/GWR/12 09 फरवरी, 1984	1079 30 मार्च, 2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित की गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयनीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

रविन्द्र शर्मा,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

(553)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सिरसौद	499/31-03-1989	क्र./परि/2015/1355/06-08-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जखौदा	802/31-03-1989	क्र./परि/2015/1355/06-08-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेंहट	494/31-03-1989	क्र./परि/2015/1355/06-08-2015
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रमबई	542/31-03-1990	क्र./परि/2015/1355/06-08-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जंगीपुरा	546/31-03-1990	क्र./परि/2015/1355/06-08-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उटीला	597/19-03-1991	क्र./परि/2016/1015/29-03-2016
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पाटई	501/31-03-1989	क्र./परि/2016/1015/29-03-2016
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कछौआ	526/05-02-1990	क्र./परि/2016/1095/30-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित की गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर समक्ष अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सतीश अग्रवाल,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(554)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	48/12-08-2011	1112/31-03-2016
2.	रामेश्वर गुह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	378/26-07-2004	1126/31-03-2016
3.	सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	267/29-03-1998	1127/31-03-2016
4.	कावेरी महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ग्वालियर	798/06-05-1995	1010/29-03-2016
5.	इन्द्रागाँधी महिला बहु. सहकारी संस्था, घई	903/16-03-2001	1065/30-03-2016
6.	पीताम्बरा प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई

है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजकुमार शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(555)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 02 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

क्र./परि./1/2017.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को निम्नांकित आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	यूको बैंक कर्म. गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	158/7-08-1989	1681/06-07-1995
2.	दिशा गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	302/02-03-2002	1613/25-08-2009
3.	कैंसर कैम्पस प्राथ. उप. सह. भण्डार, ग्वालियर	416/10-10-1983	1020/29-03-2016
4.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., मोहना	495/31-03-1989	1671/17-07-2002

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं।

अतः मैं, एस. के. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के उपनियम-57 (सी) के अन्तर्गत संसूचित करता हूँ कि संस्थाओं के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, यदि निर्धारित समय अवधि में दावें प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी संसूचित किया जाता है कि यदि संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित त की रहेगी।

यदि उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा, परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे/अभ्यावेदन, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये प्रस्ताव उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर की ओर प्रेषित कर दिया जावेगा।

यह सूचना आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

एस. के. श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(556)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 02 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

क्र./परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को निम्नांकित आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	अमन ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	300/19-01-2001	2463/24-11-2012
2.	जय गंगा ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	376/16-07-2004	2465/24-11-2012
3.	माता गायत्री ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	372/01-06-2004	1143/31-03-2016
4.	भवन ग्रह निर्माण सहकारी समिति मर्या., ग्वालियर	221/10-08-1972	1864/21-11-2013
5.	कमलाराजा गर्ल्स उप. सह. भण्डार, ग्वालियर	836/25-05-1996	..

अतः मैं, वाय. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1962 के उपनियम-57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समयावधि में दावें प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी संसूचित किया जाता है कि यदि संस्थाओं के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा, परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला ग्वालियर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 02 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(557)

वाय. पी. श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मधुवन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	133/27-03-1987	1946/19-10-2015
2.	नव सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	315/27-10-2002	1137/31-03-2016
3.	आनंद देव हरिजन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	44/09-09-1959	1142/31-03-2016
4.	शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	440/25-05-1986	960/21-03-2016
5.	जय भीम रफ्तार यातायात सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	205/26-06-1993	997/29-03-2016
6.	सर्वहितकारी खनिज सहकारी संस्था मर्या., घाटीगांव जिला ग्वालियर	374/26-06-2004	1084/30-03-2016
7.	प्रेसिम केन्टीन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., ग्वालियर	556/14-03-1991	430/17-03-2015
8.	जय श्री गणेश यातायात सहकारी संस्था मर्या., समूदन जिला ग्वालियर	206/03-07-1993	430/17-03-2015
9.	दुग्ध योजना कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर	255/28-10-1968	430/17-03-2015

1	2	3	4
10.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	273/18-04-1970	430/17-03-2015
11.	शासकीय वेतन भोगी कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	359/20-01-1969	430/17-03-2015
12.	पहाड मुकील खनिज सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	377/30-03-1979	430/17-03-2015
13.	ग्वालियर खदान श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	394/07-08-1981	430/17-03-2015
14.	गायत्री बुनकर सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	483/14-03-1985	430/17-03-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

आर. डी. पचौरिया,

(558) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है.—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	चम्बल महिला बहु. सह. संस्था मर्या., घाटीगांव	866/05-03-1997	1542/13-08-2009

सहकारी अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्था के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

भूपेन्द्रपाल सिंह,

(559) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है।—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	ग्वालियर शुगरमिल गृह निर्माण सह. संस्था मर्या. डबरा	68/15-03-1977	1330/25-05-2004
2.	शीतला सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., जौरासी	259/15-01-1969	4811/09-12-1994
3.	नवजीवन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., डबरा (पिछोर)	639/24-04-1992	852/21-03-2001
4.	डबरा कन्ज्यूमर स्टोर मर्या., डबरा	155/10-04-1962	1090/06-07-1988
5.	निर्मिति श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा	1392/28-09-2005	1366/05-07-2012
6.	जय बमरोली हनुमान खनिज सह. संस्था, चांदपुर	565/09-08-1991	850/22-04-1994
7.	आदिवासी शिल्पकार खनिज गौड़ सह. संस्था, जौरासी	473/04-05-1987	1034/08-04-2005
8.	डबरा कामगार एवं कारीगरों की खनिज सह. संस्था, डबरा	50/26-06-1960	2702/01-10-2005
9.	हरिजन खनन सह. संस्था मर्या., आंतरी	547/22-08-1990	1540/13-08-2009
10.	सतनाम बुनकर सह. संस्था मर्या., डबरा	635/29-09-1946	2589/14-12-1993
11.	एकता महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., चिरूली	961/01-07-2004	969/21-03-2016
12.	संध्या महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., डबरा	104/16-03-2001	1074/30-03-2016
13.	गिराज बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., छीयक	500/31-08-1989	1078/30-03-2016
14.	महालक्ष्मी धाम महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था डबराबुर्जुग	933/05-02-2004	1083/30-03-216
15.	कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., इटायल	925/26-02-2003	982/21-03-2016
16.	मथुर महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., जौरासी	256/04-01-1997	979/21-03-2016
17.	लघुकिसान बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., डबरा	419/16-04-2012	1866/23-07-2016
18.	महिला बहुउद्देशीय सह. संस्था मर्या., सरनागत	967/10-08-2004	984/21-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71(1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थायें जिला ग्वालियर/जनपद पंचायत डबरा में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्थाओं का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्य के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 25 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एस. एम. ए. जैडी,

परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
सहस्त्र बाहु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर सहस्त्र बाहु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 611, दिनांक 12 फरवरी, 1997 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वाँछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(578)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इमलिया,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., इमलिया, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1177, दिनांक 15 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(579)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गहलावन,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गहलावन, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1169, दिनांक 15 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(580)

कारण बताओ सूचना-पत्र

रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरई,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

क्र./परि./2016/87.-अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरई, तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1196, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(581)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोंद,
तहसील सिलवानी, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोंद, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 11241, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(582)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अलीबाड़ा,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अलीबाड़ा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1112, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(583)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौरासा,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चौरासा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 991, दिनांक 19 जुलाई, 2012 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त

आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयवाधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(584)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांकल,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सांकल, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1025, दिनांक 20 फरवरी, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयवाधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(585)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडाझिर,
तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांडाझिर, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1107, दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।

5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(586)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

साईं कृपा श्रमिक खदान सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर साईं कृपा श्रमिक खदान सहकारी संस्था मर्या., गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1044, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(587)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

श्रवण महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालेरा,

तहसील रायसेन, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर श्रवण महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सालेरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन,

जिसका पंजीयन क्र. 961, दिनांक 25 अगस्त, 2009 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(588)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोड़ा देवरी,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोड़ा देवरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1173, दिनांक 15 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(589)

कारण बताओ सूचना-पत्र

रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैमवाली,
तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन.

क्र./परि./2016/96.-अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैमवाली, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1133, दिनांक 28 अप्रैल, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(590)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया गोली,
तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया गोली, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 969, दिनांक 30 अप्रैल, 2010 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(591)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गिरवर,
तहसील रायसेन, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गिरवर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1189, दिनांक 22 सितम्बर, 2005 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(592)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांजरा,
तहसील बरेली, जिला रायसेन।

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पांजरा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1156, दिनांक 09 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।

4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(593)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढिलगर,
तहसील बरेली, जिला रायसेन.

अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढिलगर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1164, दिनांक 15 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(594)

रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भानपुरगढ़ी,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

क्र./परि./2016/116.-अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भानपुरगढ़ी, तहसील गैरतगंज,

जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1132, दिनांक 27 अप्रैल, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(595)

रायसेन, दिनांक 13 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेकापार खुर्द,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

क्र./परि./2016/123.-अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेकापार खुर्द, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1113, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है.—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही की जावे.

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 28 जनवरी, 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(596)

के. व्ही सोरते,
उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महाकाली साख सहकारी संस्था मर्या., उदयनगर	1056/02-04-2003	2289/01-11-2014
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जियागांव	607/01-09-1981	358/03-03-2015
3.	चंद्रकांता कुटकुट पालन सहकारी संस्था, हाटपिपल्या	1225/08-03-2010	1528/03-09-2015
4.	ब्रह्मशक्ति सहकारी साख संस्था, बागली	1002/10-01-2002	370/16-02-2016
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., करनावद	404/13-10-1981	267/30-04-2016
6.	माँ चंद्रेश्वरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	915/09-02-2000	1589/26-10-2016
7.	दुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	962/16-05-2007	1962/21-06-2007
8.	सिद्धी विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था, हाटपिपल्या	1358/08-08-2012	484/19-02-2014
9.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, नीमपडाव	163/22-03-1969	1096/30-05-2008
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सिरोल्या	351/19-08-1980	1266/29-04-2013
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पुंजापुरा	570/12-09-1984	882/20-04-2010
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या	2113/16-10-1981	1848/27-07-2013
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., आगुर्ली	382/08-05-1981	886/20-04-2010
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., दत्तोतर	385/03-08-1981	541/28-02-2014

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध स्वयंमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

ए. के. जैन,

(597)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, भौरांसा	655/24-12-1986	414/04-03-2011
2.	हरिजन सामू. कृषि सहकारी संस्था, शुक्रवासा 02	231/09-07-2004	
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, राजोदा	350/19-08-1980	478/10-03-2011
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, बिलावली	570/23-10-2000	479/10-03-2011
5.	निमाड गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	34/12-07-1971	447/08-03-2011
6.	परशुराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, जैतपुरा	438/26-06-1982	394/03-03-2011
7.	इंदिरा गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	22/01-08-1974	396/03-03-2011
8.	सिद्धार्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	326/03-10-1979	476/10-03-2011
9.	वन विभाग गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	20/04-05-1972	395/03-03-2015
10.	तिलहन सहकारी संस्था, बिजवाड	399/12-10-1981	360/03-03-2015
11.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, क्षिप्रा		958/09-06-2015
12.	सुखधाम गृह निर्माण सहकारी संस्था, चिडावद	109/31-01-1958	1525/03-09-2015
13.	शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्म. गृह निर्माण, देवास	327/06-11-1979	2149/31-12-2015
14.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, सुकल्या	592	/15-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

एन. के. गुप्ता,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

(598)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	संजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	360/11-09-1980	934/05-05-2014
2.	श्री अभिलाषा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	21/04-02-2014	851/30-04-2016

1	2	3	4
3.	बादशाह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास	927/07-03-2001	813/30-04-2014
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोहादा	410/16-10-1981	364/03-03-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तुमडाबडा	646/15-11-1988	1908/01-08-2005
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., काटाकोड	406/13-10-1981	1936/27-09-2006
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलकोटा	501/31-03-1983	1636/27-09-2006
8.	शिवजी गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	372/11-02-1980	1355/18-05-2012

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

पर्वतसिंह निंगवाल,
परिसमापक.

(599)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापडा	400/12-10-1987	153/27-01-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगोद	353/28-08-1980	362/03-03-2015
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुसमानिया	502/31-03-1983	369/03-03-2015
4.	नगरीय परिवहन नर्मदा सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ	788/17-07-1995	1651/23-09-2015
5.	भास्कर प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., देवास	1374/08-06-2013	371/16-02-2016
6.	जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, किटी कोठरा	1151/03-08-2006	836/30-04-2016
7.	स्वायत्त शासन साख सहकारी संस्था, सोनकच्छ	129/30-09-1965	838/30-04-2016
8.	सबेरा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	1003/23-01-2002	843/30-04-2016
9.	सुमन प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	1121/23-03-2006	814/30-04-2016
10.	यशवंत गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	15/11-05-1987	868/30-04-2016
11.	देवश्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	413/20-11-1981	869/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र

के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

डी. के. आर्य,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(600)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ रेवा रेत खादन सहकारी संस्था, मुरझाल	805/03-05-1996	2166/31-12-2015
2.	नोबल मुद्रणालय सहकारी संस्था, देवास	843/17-12-1997	2168/31-12-2015
3.	गरीब नवाज यातायात सहकारी संस्था, देवास	188/17-07-1995	548/28-02-2014
4.	मनीराईस साख सहकारी संस्था, देवास	20/04-02-2014	266/10-02-2016
5.	बीज उत्पादक सहकारी संस्था, बिजवाड	537/20-03-1979	51/03-01-2011
6.	आदिवासी सामूहिक कृषि, पर्वतपुरा	178/12-05-1970	883/20-04-2010
7.	हरिजन सामूहिक कृषि, शुक्रवासा 01	204/25-03-1971	226/02-03-2011
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, संवरसी	436/18-06-1962	191/03-01-2011
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, नेवरी	478/05-11-1982	226/02-03-2011
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, टोंकखुर्द	650/21-11-1988	2287/01-11-2014
11.	आदर्श सिंधी गृह निर्माण, देवास	126/26-03-1956	474/10-03-2011
12.	महाजन गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	464/30-12-1982	475/10-03-2011
13.	महात्मा गांधी गृह निर्माण, पिपलरांवा	512/22-04-1983	880/20-04-2010

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

धर्मेन्द्र मालवीय,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(601)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, बांगरदा	184/05-06-1970	351/03-03-2015
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, टिगरियागोवा	602/01-09-1987	1643/23-09-2015
3.	रोशनी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	952/15-06-2001	840/30-04-2016
4.	टेकरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	1057/10-04-2003	841/30-04-2016
5.	देवी अहिल्या प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सोनकच्छ	844/31-12-1999	842/30-04-2016
6.	नवीन केमिकल्स साख संस्था, देवास	723/22-03-1991	870/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

तरूणा ठाकुर,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(602)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षक अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्रतापनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	416/19-04-1981	1126/28-05-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, कन्नौद	479/05-11-1982	1604/21-07-2014

1	2	3	4
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कुसमान्या	1189/24-12-1982	154/27-01-2015
4.	विराट ग्रामोद्योग सहकारी संस्था, चिडावद	338/23-02-1956	154/27-01-2015
5.	आदर्श गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	29/13-09-1972	2225/05-08-2010
6.	नटराज फल-सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था, खातेगांव	1213/23-07-2009	2294/01-11-2014
7.	पंचशील गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	28/29-06-1976	1647/23-05-2015
8.	मयुर बीज उत्पादक सहकारी संस्था, महुखेडी	1549/27-02-2015	822/30-04-2016
9.	आशा सहकारी साख संस्था, देवास	1492/09-10-2014	818/30-04-2016
10.	विक्रम गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	393/10-07-1981	2152/31-12-2015
11.	विशाल गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	377/11-03-1981	2153/21-12-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. एस. बाल्के,

परिसमापक एवं अंकेक्षक अधिकारी।

(603)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ दुर्गा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, सिरोल्या	1011/12-04-2002	2284/01-11-2014
2.	देवास सहकारिता वेतन पाने वाले की साख सहकारी संस्था, देवास	106/15-07-1968	2286/01-11-2014
3.	गुरूकृपा साख सहकारी संस्था, देवास	07/04-02-2014	1527/03-09-2015
4.	दीपक वुलन साख सहकारी संस्था, देवास	594/30-04-1986	1667/28-09-2015
5.	देवास केबल ऑपरेटर साख संस्था, देवास	1054/28-03-2003	846/30-04-2016
6.	नृसिंह प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, हाटपिपल्या	707/31-12-1990	847/30-04-2016
7.	शंखेश्वर साख संस्था मर्या, देवास	1096/25-05-2005	815/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

बी. के. मिश्रा,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(604)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री अंबे रेत खदान खनिज, देवास	857/01-09-1998	1236/20-07-2015
2.	अंत्यवसायी वीर बजरंग यातयात सहकारी संस्था मर्या., टोंककला	711/15-11-1994	1232/20-07-2015
3.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवास	1361/08-08-2013	1239/20-07-2015
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोंककला	350/19-08-1980	1238/20-07-2015
5.	माँ चामुण्डा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	848/20-02-1998	871/30-07-2016
6.	अनूप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	856/31-07-1998	1244/22-07-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

प्रमोद तोमर,

परिसमापक.

(605)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास	26/08-07-1975	1524/03-09-2015
2.	सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., किलोदा	138/04-02-1967	1523/03-09-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

व्ही. एस. राजावत,

परिसमापक.

(606)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	कुलदीप साख सहकारी संस्था, देवास	809/05-11-1999	2047/16-08-2012
2.	कृष्ण साख सहकारी संस्था, देवास	845/13-01-1998	1604/21-07-2014
3.	श्रीजी चर्मकार सहकारी संस्था, इकलेरा	498/22-12-1985	1526/03-09-2015
4.	चामुण्डा फल, साग-सब्जी उत्पादक, मुरम्या	773/31-05-2004	--
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, मांगरोला	585/02-11-1985	28-02-2014
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, सुनवानीकराड	649/21-11-1988	--
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, डबलचौकी	383/08-05-1981	357/03-03-2015
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, भुतियाबुर्जग	615/12-11-1988	2049/06-08-2012
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, देवगढ	405/13-10-1983	2050/06-08-2012
10.	सिंधु गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	70/30-12-1970	2040/06-08-2012
11.	भारतीय गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	19/13-12-1972	2041/06-08-2012
12.	जनविकास समूह कृषि बीज सहकारी संस्था, महिगांव	--	486/19-02-2014

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

जोबाकिम कुजुर,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(607)

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, पिपल्यानानकर	528/21-10-1963	932/05-05-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, कैलोद	389/03-05-1981	931/05-05-2014
3.	पदम मोहन गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	128/10-10-1968	528/05-03-2014
4.	कामना गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	420/23-11-1981	380/03-03-2015
5.	सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, इकलेरा	200/12-10-1970	353/03-03-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, अकबरपुर	354/08-05-1981	1645/23-09-2015
7.	रामनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	417/09-11-1981	2150/31-12-2015
8.	गायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	350/19-07-1974	2151/31-12-2015
9.	अजमीठ साख सहकारी संस्था, देवास	349/27-06-1980	839/30-04-2016
10.	महाराष्ट्र साख सहकारी संस्था, देवास	1191/01-12-2007	837/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरान्त उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

मंजुलता अग्रवाल,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(608)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	चंद्रवंशीय साख सहकारी संस्था, देवास	856/17-12-1996	2628/10-10-2013
2.	नेशनल पेराडाक्सआईड साख सहकारी संस्था, देवास	690/10-05-1990	25/03-01-2012
3.	इंदिरा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, पिपलरावा	1025/25-07-2002	1673/19-06-2012
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, बडीचुरलाय	--	846/27-07-2013
5.	अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सोनकच्छ	1201/06-06-2008	844/30-11-2016
6.	श्वेतांबरी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	1118/03-02-2001	844/30-11-2016
7.	आर.एस. बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गुराडिया भील	1232/11-06-2010	1587/26-10-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

प्रेरणा जांभेकर,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक।

(609)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1.	मार्जिन फ्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	958/09-07-2001	2283/01-11-2014
2.	मैना महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, देवास	948/10-05-2001	2297/01-11-2014
3.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, बागली	756/23-10-1992	835/30-04-2016
4.	शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था, पिलवानी	1577/01-07-2015	866/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

अनिता मेहरा,

परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(610)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	आदिवासी सामूहिक सहकारी संस्था, जनोलीबुजुर्ग	151/15-04-1966	1732/04-08-2011
2.	आदिवासी वनवासी बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मालीपुरा	961/10-08-2001	1290/11-05-2012
3.	दुर्गा बाग गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	25/19-06-1975	03-01-2012
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, रतनखेडी	412/16-10-1981	1727/04-08-2011
5.	जयप्रकाश श्रमिक कामगार सहकारी संस्था, देवास	347/02-04-1982	425/11-03-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, सतवास	524/12-08-1983	1644/23-09-2015
7.	ई.आई.जी. पेढी साख संस्था, देवास	04/04-02-2014	850/30-04-2016
8.	सिद्धविनायक फल कृषि सहकारी संस्था, हाटपिपल्या	30/04-02-2014	852/30-04-2016
9.	दयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था, क्षिप्रा	34/04-02-2014	849/30-04-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

कृष्णा पथरोड,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(611)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1)

के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	गजरा विव्हेल साख सहकारी संस्था, देवास	371/14-01-1980	1648/23-09-2015
2.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, कुमरिया	1532/16-02-2015	820/30-04-2016
3.	कृषि बीज उत्पादक सहकारी संस्था, बडखेडासोमा	1546/16-02-2015	821/30-04-2016
4.	गंगाधारा आदिवासी विस्थापित मछुआ, रोहन्या	1300/19-03-2013	816/30-04-2016
5.	जयश्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था, सुनवानीगोपाल	1425/29-11-2014	819/30-04-2016
6.	नरेन्द्रदेव सामुहिक कृषि भौरांसा	201	1519/03-09-2015
7.	माँ नर्मदा फलकृषि एवं साग-सब्जी, खातेगांव	38/04-02-2014	1927/18-11-2015
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, आगरोदमंडी	441/16-06-1982	658/24-04-2015
9.	ग्रामीण गृह निर्माण सहकारी संस्था, खातेगांव	07/12-03-1967	102/23-06-2015
10.	जी.जी. इंजिनियरिंग गृह निर्माण, देवास	341/20-03-1980	1517/30-09-2015
11.	प्रगति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, सुमराखेडी	1029/16-09-2002	1090/26-10-2016
12.	गायत्री विस्थापित मत्स्योद्योग, पिपल्याचोर	1215/25-08-2009	1591/26-10-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है.

आर. के. सोनी,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(612)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महाराजा अग्रसेन शीतगृह, देवास	873/19-12-1999	22/03-01-2012
2.	तिलहन सहकारी संस्था, गंधर्वपुरी	415/31-10-1981	1454/30-05-2012
3.	तिलहन सहकारी संस्था, कमलापुर	426/26-06-1982	1454/30-05-2012

1	2	3	4
4.	श्री कृष्ण गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	21/31-07-1972	909/02-05-2009
5.	अग्रसेन गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	36/04-09-1979	1356/18-05-2013
6.	हट्टेसिंग गोयल गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	27/02-07-1976	--
7.	तिलहन सहकारी संस्था, कानकुण्ड	534/01-01-1983	361/03-03-2015
8.	धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था, सतवास	1500/16-07-2015	829/30-04-2010
9.	अनंत बीज उत्पादक सहकारी संस्था, छापरी	1584/22-07-2015	830/30-04-2016
10.	बद्रीनाथ भण्डार, भौरासा	1088/07-10-2004	1588/26-10-2016
11.	माँ भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नराना	1542/29-01-2015	1503/05-10-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(613)

बी. एल. गोठवाल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	एस. एण्ड एच. गियर्स सहकारी संस्था, देवास	324/22-01-1979	2028/05-08-2013
2.	आस्था महिला साख सहकारी संस्था, देवास	07/04-02-2014	2828/28-11-2013
3.	बलराम बीज उत्पादक, चोबाराजागीर	1585/22-07-2015	831/30-04-2016
4.	राम स्नेही बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गाडागांव	1598/06-10-2015	834/30-04-2016
5.	चामुण्डा परिवहन सहकारी संस्था, देवास	546/11-04-1984	368/03-03-2015
6.	सक्षम बीज, रतनखेडी	1590/01-08-2015	831/30-04-2016
7.	सुरज गृह निर्माण, देवास	956/30-06-2001	354/03-03-2015
8.	माँ वैष्णोदेवी महिला साख, देवास	1212/17-07-2009	1593/30-10-2016
9.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक, अमोना	29/04-02-2014	427/11-03-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. शर्मा,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(614)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	दुर्गाबाग बीज उत्पादक सहकारी संस्था, दुर्गापुरा	1565/26-05-2015	827/30-04-2016
2.	शिवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नांदेल	1562/26-05-2015	826/30-04-2016
3.	नागर बीज उत्पादक सहकारी संस्था, गुनाई	1558/18-03-2015	825/30-04-2016
4.	श्री विनायक सहकारी संस्था, विक्रमपुर	1553/07-03-2015	824/30-04-2016
5.	श्री बलदाउ बीज उत्पादक सहकारी संस्था, सामगी	1552/07-08-2015	843/30-04-2016
6.	हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था, शुक्रवासा	203/29-03-1971	203/29-03-1971
7.	गरीब नवाज यातायात, देवास	750/17-07-1995	228/30-04-2016
8.	आशापुरा फल, साग-सब्जी, जामगोद	1521/30-09-2015	743/23-06-2015
9.	कुशलपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	414/12-06-1975	1020/23-06-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(615)

के. सी. चौहान,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	अन्त्यव्यवसायी गायत्री रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., गांगर्दी, जिला देवास.	749/09-03-1992	1022/23-06-2015
2.	अन्त्यव्यवसायी सरस्वती रेत खदान सहकारी संस्था, देवमुण्डला	750/19-05-1992	1649/21-09-2015
3.	आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था, बाबडीखेडा	593/30-03-1996	1520/03-09-2015
4.	शुभम साख सहकारी संस्था मर्या., देवास	08/04-02-2014	101/21-01-2016
5.	श्री ओमसाई आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्या., सुरलाय	1301/19-03-2013	817/30-04-2016
6.	मातंगी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, देवास	45/04-02-1997	884/30-04-2016
7.	न्यू आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, सोनकच्छ	778/04-03-1995	803/30-04-2016
8.	चामुण्डा फल कृषि बीज उत्पादक सहकारी संस्था, देवास	47/04-02-2014	853/30-04-2016
9.	सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	374/12-11-1981	921/12-05-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई है. अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने की दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए.बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा बहुदायित्व स्वयं मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों के अभिलेख एवं रिकॉर्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती है तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

(616)

ए. के. तिवारी,

परिसमापक एवं व.स.नि.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र**[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]**

प्रति,

श्री जे. एस. राजे, C.I.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

बुनकर सहकारी संस्था मर्या., वानकापुरा.

क्र./परि/2017-18/51.-यहकि बुनकर सहकारी संस्था मर्या., वानकापुरा, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./4473, दिनांक 16 फरवरी, 2000 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(617)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र**[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]**

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरमिती.

क्र./परि/2017-18/52.-यहकि जय दुर्ग महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिरमिती, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./1292, दिनांक 06 अक्टूबर, 2004 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबर्धन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(618)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिडोरा.

क्र./परि/2017-18/53.-यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खिडोरा, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./1316, दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(619)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुण्डीला.

क्र./परि/2017-18/54.-यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टुण्डीला, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./840, दिनांक 27 जनवरी, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(620)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री लोकाेश शर्मा, S.C.I.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुण्डपुरा.

क्र./परि/2017-18/55.—यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुण्डपुरा, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./448, दिनांक 30 जनवरी, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(621)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री रामजीलाल गुप्ता, S.A.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुरौली.

क्र./परि/2017-18/56.-यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुरौली, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./1405, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 जिसे आगे संस्था कहा गया के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(622)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री जे. एस. राजे, C.I.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पढावली.

क्र./परि/2017-18/57.-यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पढावली, पंजीयन क्र./ए.आर./एम.एन.ए./1412, दिनांक 16 जून, 2015 जिसे आगे संस्था कहा गया के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की

अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे।

इस बाबत मैं दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(623)

मुरैना, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

श्री जे. एस. राजे, C.I.

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

कन्सट्रक्शन मटेरियल सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह.

क्र./परि/2017-18/58.-यहकि कन्सट्रक्शन मटेरियल सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह, पंजीयन क्र./ए.आर./ए.एन.ए./778, दिनांक 06 अगस्त, 1988 जिसे आगे संस्था कहा गया के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीकरण आदेश में कदर्शित समयावधि में अपना कार्य प्रारंभ नहीं किया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत मैं दिनांक 27 जनवरी, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(624)

आर. सी. शर्मा,

उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी

डिण्डौरी, दिनांक 12 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन समितियों का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बिजोरी	552/30-10-1991	69/10-08-2007
2.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बसनिया	560/30-10-1991	69/10-08-2007

1	2	3	4
3.	प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बटौंधा	551/30-10-1991	69/10-08-2007
4.	ईट-खपरा सहकारी समिति मर्या., सुब्बाखार	130/21-02-1963	176/14-03-2013
5.	स्टील बुडन एवं फर्नीचर उद्योग सहकारी समिति मर्या., पीपरटोला, डिण्डौरी	09/20-02-2002	174/15-03-2013
6.	स्वर्ण रजत आभूषण निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., नर्मदा गंज, डिण्डौरी.	05/26-03-2001	399/17-06-2014
7.	माँ नर्मदा कर्मचारी/अधिकारी कल्याण साख सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी	17/26-08-2003	360/11-07-2016
8.	डिण्डौरी सहयोग आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी	70/28-03-2014	363/11-07-2016
9.	नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डिण्डौरी	62/27-03-2014	373/11-07-2016
10.	महालक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्या., धुरा	22/14-03-2008	375/11-07-2016

अतः मै. के. एस. मरावी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत दावेदारों/सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी सदस्य/व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला डिण्डौरी में कार्यालयीन दिवसों में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उपरोक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास उपरोक्त समितियों का कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकॉर्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(625)

के. एस. मरावी,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., काँझर, तहसील भीकनगाँव

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., काँझर, तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1281, दिनांक 23 जनवरी, 2001 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/803, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(626)

कार्यालय परिसमापक महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., छिर्वा, तहसील भीकनगाँव

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., छिर्वा, तहसील भीकनगाँव, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन

क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1253, दिनांक 27 मार्च, 2000 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/803, दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(627)

कार्यालय परिसमापक शिवाबाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., माण्डवी, तहसील झिरन्या

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-शिवाबाबा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., माण्डवी, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1578, दिनांक 11 सितम्बर, 2007 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1065, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(628)

कार्यालय परिसमापक वैभवी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., झिरन्या, तहसील झिरन्या

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-वैभवी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., झिरन्या, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1981, दिनांक 09 जून, 2014 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1065, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(629)

कार्यालय परिसमापक शिवशक्ति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., रतनपुर, तहसील झिरन्या

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-शिवशक्ति मत्स्योद्योग सहकारी संस्था, मर्या., रतनपुर, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर.

(केआरजीएन) 1665, दिनांक 28 अगस्त, 2012 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1065, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(630)

कार्यालय परिसमापक साक्षी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., मुण्डिया

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-साक्षी बीज उत्पादक सहकारी संस्था, मर्या., मुण्डिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1978, दिनांक 12 मई, 2014 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1065, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(631)

कार्यालय परिसमापक साईनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्या., खारियामाल

दिनांक 07 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./15/क्यू-साईनाथ महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, मर्या., खारियामाल, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक एन.एम.आर. (केआरजीएन) 1557, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 है, को कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खरगोन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1065, दिनांक 27 अगस्त, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में किया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

सूचना आज दिनांक 07 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(632)

बसन्त यादव,
सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी

क्र./परि./16/क्यू-सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित

किया गया है, विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.	समिति का नाम व पता	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	पुष्पावती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिलहरी	123/09-02-2013	258/24-03-2015
2.	बरही दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरही	144/18-10-2012	560/23-04-2016
3.	डिहुटा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., डिहुटा	145/18-10-2012	561/23-04-2016
4.	बरतरी दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरतरी	143/18-10-2012	562/23-04-2016
5.	बड़खेरा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बड़खेरा	150/18-10-2012	563/23-04-2016
6.	पाकर दुग्ध सहकारी समिति मर्या., पाकर	151/18-10-2012	564/23-04-2016
7.	भखरवारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भखरवारा	147/18-10-2012	565/23-04-2016
8.	अमरगढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., अमरगढ़	148/18-10-2012	566/23-04-2016
9.	हथियागढ़ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हथियागढ़	149/18-10-2012	567/23-04-2016
10.	भटगवाँ दुग्ध सहकारी समिति मर्या., भटगवाँ	146/18-10-2012	568/23-04-2016

अतः मैं, ए. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा/आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

ए. एस. तोमर,

(633)

वरिष्ठ सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 24 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., राजावाट	735/14-12-1992	445/18-10-2012
2.	निराताडगुड सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर	830/07-11-1958	427/16-09-2010

अतः मैं, ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

ओ. पी. यादव,

(634)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री देवी अहिल्या बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बुरमा	48/08-07-2014	275/06-05-2015

अतः मैं, विजय दिशोरिया, उप-अंकेक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

विजय दिशोरिया,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(635)

कार्यालय परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक नियुक्त आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	सरस्वती महिला साख सहकारी संस्था मर्या., जवानिया	38/08-07-2014	271/06-05-2015
2.	प्रगतिशील महिला साख सहकारी संस्था मर्या., कालियावाव	39/08-07-2014	272/06-05-2015

अतः मैं, अमितसिंह, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

अमितसिंह,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(636)

कार्यालय परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	मालगढ़ महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मालवई	37/08-07-2014	270/06-05-2015

अतः मैं, व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(637)

दिनांक 11 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2014/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	माँ अम्बिका महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., पलासदा	1034/28-02-2009	451/18-10-2012
2.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बलेडी	349/25-02-1965	463/18-10-2012

अतः मैं, व्हाय. एस. वाघेला, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(644)

व्हाय. एस. वाघेला,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदिवासी चेतना उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्भी	09/26-02-2011	279/06-05-2015

अतः मैं, कमलसिंह गाडें, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के

पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

कमलसिंह गाडें,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(638)

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	गायत्री महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., जोबट	41/08-07-2014	274/06-05-2015

अतः मैं, श्याम छत्तरी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

श्याम छत्तरी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(639)

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आजाद महिला साख सहकारी संस्था मर्या., च. शे. आजाद नगर	42/08-07-2014	273/06-05-2015
2.	गांधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., धनपुर	36/08-07-2014	280/06-05-2015

अतः मैं, आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं

के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(640)

आर. के. वासन्दे,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आदर्श बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामन्दा	49/08-07-2014	276/06-05-2015

अतः मैं, बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात दावें/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(641)

बी. एस. सोलंकी,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

अलीराजपुर, दिनांक 30 मई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	चेतना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुण्डवाट	05/25-08-2010	277/06-05-2015
2.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कटठीवाड़ा	07/21-12-2010	278/06-05-2015

अतः मैं, ओ. पी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि पश्चात दावें/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें। अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(642)

ओ. पी. यादव,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक व सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाभरा	46/08-07-2014	556/22-02-2016

अतः मैं, अमीत सिंह, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों/सदस्यों को सूचित करता हूँ कि जिस किसी के पास संस्था के दावा, आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर (उमराली रोड, एस.पी. कार्यालय के सामने) में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि पश्चात दावें/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(643)

अमीत सिंह,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2014/....., झाबुआ, दिनांक..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समिति का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	राजा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कंजावानी	1056/07-09-2010	213/18-03-2014

अतः मैं, ओ. पी. पंवार, परिसमापक व व.स.नि., उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(645)

ओ. पी. पंवार,
परिसमापक एवं व.स.नि.

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 03 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश

क्र./परि./2015/....., झाबुआ, दिनांक..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	आजाद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उदयपुरीया	105/13-11-1959	1297/24-08-2000
2.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कालापिपल	359/04-03-1965	689/08-10-2003

अतः मैं, अशोक जैन, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

अशोक जैन,

(646) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 11 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू1.-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2015/440, झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मल्लीकोडी	1063/30-09-2010	213/13-18-03-2014
2.	दुर्गेश्वरी शाह साख सहकारी संस्था, पारा	993/05-06-2004	213/05-18-03-2014

अतः मैं, विनोद रावत, परिसमापक व उप-अंकेक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

विनोद रावत,

(647) परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं स.नि. अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2016/112, झाबुआ, दिनांक 18 फरवरी, 2016 के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक

का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	अनास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, बाट्याबर्डी	1062/08-03-2010	क्र./परि./2016/112/18-02-2016

अतः मैं, रनिता गणावा, परिसमापक व कार्यालय सहकारिता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

रनिता गणावा,

(649)

परिसमापक एवं कार्यालय सहकारिता.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2016/....., झाबुआ, दिनांक..... के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	भोलेनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नरवाली	1067/25-10-2010	213-4/18-03-2014
2.	शिवशक्ति बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नवापाडा	1068/25-10-2010	213/18-03-2014
3.	लीला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, आम्बा	1066/18-10-2010	213/18-03-2014
4.	मुर्गी पालन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, टाण्डागोली	967/09-10-2001	451-8/25-08-2014
5.	जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या, थान्दला	479/31-03-1981	1040/14-12-2012

अतः मैं, कैलाश मुवेल, परिसमापक व व.स.नि., उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

कैलाश मुवेल,

(650)

परिसमापक एवं व.स.नि.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 10 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश

क्र./परि./2017/439, झाबुआ, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के अनुसार निम्न सहकारी समितियों का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	शादा बीज उत्पादक सहकारी संस्था, नरसिंहखडा	1058/07-03-2010	439/29-09-2015
2.	किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था, खोखरखदान	1061/08-09-2010	439/29-09-2015
3.	बालाजी प्रा. ईंधन सहकारी संस्था मर्या., झाबुआ	1002/07-06-2006	567/02-12-2013

अतः मैं, संजय सोलंकी, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

संजय सोलंकी,

(651) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

झाबुआ, दिनांक 03 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ, दिनांक के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आमलीपठार	1064/01-10-2010	213/18-03-2014

अतः मैं, जी. एस. गुण्डिया, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.

(652)

झाबुआ, दिनांक 03 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू-सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के आदेश क्र./परि./2013/....., झाबुआ, दिनांक के अनुसार निम्न सहकारी समिति का जिनके नाम व पंजीयन दिनांक व आदेश क्रमांक का उल्लेख

किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-7 रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत मुझे निम्नांकित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	राजीव गांधी प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., पेटलावद	983/19-12-2003	451-7/28-08-2014

अतः मैं, जी. एस. गुण्डिया, परिसमापक व सहकारी निरीक्षक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्थाओं के संबंध में कोई दावा या आपत्ति या रिकॉर्ड हो, तो इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से 2 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त दावे और आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और संस्था के परिसमापन की वैध कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्यों/पदाधिकारियों के पास कोई रिकॉर्ड, परिसंपत्ति या नगदी हो, तो उसे भी उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

जी. एस. गुण्डिया,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(653)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/4241.-कार्यालयीन पत्र क्र./परि./13/3677, दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 के द्वारा श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./493, दिनांक 06 फरवरी, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. परिसमापक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें संस्था की लेनदारी/देनदारी के संबंध में दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 एवं 10 दिसम्बर, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत प्रकाशन कर दावे/आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी. परिसमापक द्वारा अवगत कराया गया कि निर्धारित दिनांक में संस्था सदस्यों की ओर से कोई दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं तथा संस्था की लेनदारी/देनदारी का निराकरण करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की प्रस्तावना की गयी है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की वर्ष 01 अप्रैल, 2016 से दिनांक 20 सितम्बर, 2016 तक पारित अंकेक्षित टीप प्रस्तुत की गयी है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक पाता हूँ.

अतः मैं, राजेश कुमार क्षत्री, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त विवेचना के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत श्री विनायक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर, पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./493, दिनांक 06 फरवरी, 1988 का एतद्वारा पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

राजेश कुमार क्षत्री,
उप-पंजीयक.

(573)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थायें, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम 57-ग के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना के आदेश क्र./परिसमापन/2016/2425, मुरैना दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 एवं 2368, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	कामगार कारीगरों की सहकारी संस्था सरायछौला	369/06-02-1975
2.	फल, साग भाजी सहकारी संस्था मर्या., परदूकापुरा	1104/17-01-1996
3.	फल, साग भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अतरसुमा	1109/30-11-1996
4.	फल, साग भाजी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कौंथरकलां	1089/12-09-1996
5.	फल, साग भाजी उत्पादक संस्था मर्या., चापक भदावली	1048/19-05-1985
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., स्यावटा	1141/30-09-1994
7.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागचीनी	578/22-01-1984
8.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवगढ़	606/31-03-1986
9.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मामचोन	723/11-02-1988
10.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिमोखर	607/31-03-1986
11.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिचौला	651/02-03-1987
12.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडकापुरा	879/01-04-1989
13.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैमराकला	730/01-03-1988
14.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेरला	602/31-02-1986
15.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खडियाहार	576/31-03-1986
16.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लल्लूबसई	877/11-04-1989
17.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नन्दगांगोली	721/11-12-1987
18.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटपुरा	744/23-03-1988
19.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उम्मेदगढ़वासी	644/20-03-1987
20.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वृहम	647/20-03-1987
21.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोनारी	929/23-02-1991
22.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थरा (जौरा)	949/19-08-1991
23.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अगरोता	678/01-04-1989
24.	शिवशक्ति उद्योग सह. संस्था कुम्हेरी	320/18-05-1992
25.	ईट भट्टा उद्योग सह. संस्था मर्या., भट्टपुरा	12/03-11-1960
26.	नारी कल्याण सहकारी संस्था जौरा	545/30-10-1982
27.	ईट भट्टा उद्योग सह. संस्था मर्या., वारा	397/26-07-1992
28.	शक्ति चलित उद्योग सह. मर्या, लहचौरा	299/17-08-1991

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने

के दायित्वहीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे। यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक 03 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

ए. के. जैन,

(561) सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थायें, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम 57-ग के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना के आदेश क्र./परिसमापन/2016/2427, मुरैना दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 एवं 46, दिनांक 10 जनवरी, 2017 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	मूढा उद्योग सह. सं. मर्या., पालका पुरा	91/13-03-1961
2.	हरिजन श्रमिक सह. सं. मर्या., पोरसा	1067/10-02-1996
3.	सपना साग भाजी उत्पा. सह. सं. मर्या., दोहरेटा	1116/11-12-1996
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अरदोनी	935/30-09-1991
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनेला	611/04-04-1986
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हुसैनपुरा	605/31-03-1986
7.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शहदपुर	607/31-03-1986
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दीपैरा	614/04-04-1986
9.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निरारा	650/20-03-1987
10.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुजानगढ़ी	649/20-03-1987
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुरावली	618/04-04-1986
12.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेराकलां	746/24-03-1988
13.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रजौधा	582/23-02-1985
14.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भौनपुरा	745/24-03-1988
15.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंथरा अहीर	609/31-03-1986
16.	तिहलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिरदौली	760/06-04-1988
17.	लेदर गुड्स सह. संस्था मर्या., मुरैना	500/01-10-1981

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया

जावेगा. साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी. यह सूचना पत्र आज दिनांक 03 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(562)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम 57-ग के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्रं. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना के आदेश क्रं./परिसमापन/2016/194, मुरैना दिनांक 02 फरवरी, 2017 एवं 2368 दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 से पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपहाडी	560/20-03-1989
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामपुर कलां	658/20-03-1989
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेटरा	659/20-03-1989
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगरोल	656/30-03-1989
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वनवारा	762/23-05-1988
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वक्सपुर	763/24-03-1988
7.	ईट चूना उद्योग सह. संस्था मर्या., झुण्डपुरा	890/15-01-1992
8.	सर्वसहारा मजदूर सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़	1125/31-12-1997
9.	स्वर्णकार सहकारी संस्था मर्या., सबलगढ़	163/04-06-1963
10.	गुड खाडसारी सह. संस्था मर्या., सबलगढ़	25/08-09-1989
11.	आदर्श फल साग सब्जी सह. संस्था सबलगढ़	1091/09-01-1995

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी. यह सूचना पत्र आज दिनांक 03 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(563)

एम. एम. गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थायें, जिला मुरैना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम, 1962 के नियम 57-ग के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सहकारी समितियों जिनका पंजीयन क्र. व दिनांक निम्नानुसार है को उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना द्वारा पूर्व आदेशों द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विभाग के अधीन कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जिला मुरैना के आदेश क्र./परिसमापन/2017/194, मुरैना दिनांक 02 फरवरी, 2017 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3
1.	हरिजन मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्या., अंबाह	895/28-10-1989
2.	भवन सामग्रीह सह. संस्था मर्या., सिहोनिया	492/24-07-1991
3.	प्रकाश रेशा सह. संस्था मर्या., अंबाह	179/11-11-1963
4.	फल साग सब्जी सह. संस्था मर्या., अतरसुमा	1109/30-11-1996
5.	मूढ़ा उद्योग सह. संस्था मर्या., पायकापुरा	97/03-03-1961
6.	तिलहन उत्पादक सह. संस्था मर्या., वरेह	572/08-02-1984

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 1962 के नियम 57 के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण, साहूकार किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वहीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. साथ ही संस्था के कर्मचारियों, पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके पास संस्था का कोई भी रिकार्ड, नगदी एवं अन्य सामान जो भी हो इस अवधि में मुझे कार्यालयीन समय में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला मुरैना में प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जावेंगे. यदि आवश्यक हुआ हो कार्यवाही भी की जावेगी. यह सूचना पत्र आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

प्रमोद कुमार गुप्ता,

(564)

वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

दिनांक 09 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गिनवानिया	764/25-08-1985	253/05-02-2013
2.	अपेक्षा महिला प्राथ. उप. सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	1287/27-02-1984	2006/30-05-2015
3.	सावरिया फल, साग-सब्जी उत्पादक विपणन भण्डारण सहकारी संस्था मर्या., उन्हैल.	1460/05-08-1997	576/25-02-2016

1	2	3	4
4.	कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी भण्डार मर्या., खाचरौद	90/03-06-1983	576/25-02-2016
5.	माँ अंबिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बटलावदी	1970/27-12-2014	742/08-03-2016
6.	माँ शारदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुम्हारवाडी	1971/27-12-2014	742/08-03-2016
7.	जय भवानी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनबना	1985/01-01-2015	742/08-03-2016
8.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाजैसिंग	2006/12-01-2015	744/08-03-2016
9.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भाटखेडी	2048/02-02-2015	862/21-03-2016
10.	पार्वती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडावन	2055/20-02-2015	862/21-03-2016
11.	गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पासलोद	1904/27-12-2014	742/08-03-2016
12.	विनायक प्राथमिक उप. सहकारी भण्डार मर्या., नागदा	1569/02-07-2001	2521/25-10-2016
13.	जय महाकाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेकोडाआंजना	1963/27-12-2014	742/08-03-2016

अतः मैं, आर. एस. परमार, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अंदर मय प्रमण के यदि हो तो मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये, समझे जावेंगे तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समिति/समितियों की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा कोई भी सामान या रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकॉर्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(565)

आर. एल. परमार,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 06 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	101/31-07-2008	581/25-02-2016
2.	कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबलारेहवारी	2046/02-02-2015	740/08-03-2016
3.	माँ पार्वती प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन	1777/06-02-2012	743/08-03-2016
4.	वाल्मिकी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., उज्जैन	1794/10-10-2012	743/08-03-2016

1	2	3	4
5.	गीता प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1797/19-10-2012	743/08-03-2016
6.	माँ क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किठोदाराव	2009/12-01-2015	744/08-03-2016
7.	सनसाईन साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	119/07-10-2009	1673/23-07-2016
8.	आस्था साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	23/30-04-2002	1673/23-07-2016
9.	श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	144/08-07-2011	1673/23-07-2016
10.	इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	125/01-07-2010	1673/23-07-2016
11.	तिरूपति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	99/11-07-2008	1673/23-07-2016
12.	भारत कृषि उपज विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1563/15-05-2001	1673/23-07-2016
13.	स्वस्तिक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	75/05-11-2004	1673/23-07-2016
14.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा	1999/01-01-2015	2028/24-08-2016
15.	श्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा	2035/23-01-2015	2029/24-08-2016
16.	कावेरी प्रिंटिंग इण्डस्ट्रीयल को-ऑप. सोसायटी मर्या., उज्जैन	1725/20-05-2009	2013/02-09-2016
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेड़ी	1900/13-11-2014	2115/02-09-2016
18.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बकानिया	2286/05-12-2015	2016/02-09-2016

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें. अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 06 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(566)

आर. एल. नागर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 09 जनवरी, 2017

क्र./परि./2017/क्यू.-सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 3562, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरला	2188/20-08-2015	3562/08-12-2016
2.	श्री नाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शक्करखेड़ी	2131/04-08-2015	3562/08-12-2016
3.	बड़केश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झांगरा	2132/04-08-2015	3562/08-12-2016

1	2	3	4
4.	अम्बिका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जवासिया सोलंकी	2133/04-08-2015	3562/08-12-2016
5.	हरियाली बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मारूखेड़ी	2167/20-08-2015	3562/08-12-2016
6.	सोमेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तरनोद	2175/20-08-2015	3562/08-12-2016
7.	बिलकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुड़ी	2186/20-08-2015	3562/08-12-2016
8.	उदय भारती बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेलाखेड़ा	2195/21-08-2015	3562/08-12-2016
9.	विकास बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आलाखेड़ा	2204/04-09-2015	3562/08-12-2016
10.	उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेड़ावदा	2205/04-09-2015	3562/08-12-2016

अतः मैं, एन. के. अड़निया, उप-अंकेक्षक, सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें। अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

एन. के. अड़निया,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(567)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3841.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3089, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 द्वारा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 95, दिनांक 29 मई, 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. आसोड़िया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(568)

उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3842.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1149, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा लाकोड़ा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर,

जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1459, दिनांक 21 जुलाई, 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(569)

उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/3843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1524, दिनांक 09 जुलाई, 2013 द्वारा चम्बल माँ श्रमिक ठेका एवं ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1733, दिनांक 09 अक्टूबर, 2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(570)

उज्जैन, दिनांक 03 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/44.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1149, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा श्रमिक साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 1489, दिनांक 09 सितम्बर, 1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 03 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(571)

डॉ. मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महापुर.

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महापुर, जिला भिण्ड के वर्ष 2015-16 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है.
2. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र, मेंहगांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 26, दिनांक 20 जुलाई, 2016 से अवगत कराया है कि संस्था कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था को परिसमापन में लाने हेतु अनुशंसा की है.

क्र./परि./2017/43(4).-अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(574)

भिण्ड, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापपुरा.

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्रतापपुरा, जिला भिण्ड के वर्ष 2015-16 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है.
2. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र, मेंहगांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 26, दिनांक 20 जुलाई, 2016 से अवगत कराया है कि संस्था कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था को परिसमापन में लाने हेतु अनुशंसा की है.

क्र./परि./2017/43(3).-अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(575)

भिण्ड, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उदन्नखेड़ा.

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उदन्नखेड़ा, जिला भिण्ड के वर्ष 2015-16 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष 2015-16 से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है.
2. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र, मेंहगांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 26, दिनांक 20 जुलाई, 2016 से अवगत कराया है कि संस्था कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था को परिसमापन में लाने हेतु अनुशंसा की है.

क्र./परि./2017/43(2).-अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(576)

भिण्ड, दिनांक 10 जनवरी, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जौरी कोतवाल.

1. दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जौरी कोतवाल, जिला भिण्ड के वर्ष 2015-16 के ऑडिट प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट है कि संस्था द्वारा वर्ष.....से अपना कार्य करना बन्द कर दिया है.
2. प्रभारी प्रबंधक दुग्ध शीत केन्द्र, मेंहगांव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 26, दिनांक 20 जुलाई, 2016 से अवगत कराया है कि संस्था कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था को परिसमापन में लाने हेतु अनुशंसा की है.

क्र./परि./2017/43(1).-अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्ति युक्त पूर्ण उत्तर इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(577)

बबलू सातनकर,

उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी, 2017-फाल्गुन 5, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना (मुरैना), मिहोनारोन (भिण्ड), टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, देवरी, केसली (सागर), दमोह, जंवेरा (दमोह), नागौद (सतना), गुढ़ (सीवा), भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोट, श्यामगढ़, सीतामऊ, धन्धडका, संजीत (मन्दासौर), नीमच (नीमच), बड़वाह, महेश्वर, खरगौन, गोगांवा, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, सेंधवा, निवाली (बड़वानी), सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर, बुधनी (सीहोर), रायसेन, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), सिवनीमालवा, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), खिड़किया (हरदा), जबलपुर (जबलपुर), अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील जतारा (टीकमगढ़), लवकुशनगर (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), बण्डा (सागर), तेन्दूखेड़ा (दमोह), मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), मऊगंज, रायपुरकर्चुलियान (सीवा), मनासा (नीमच), बदनावर, डही (धार), बुरहानपुर (बुरहानपुर), इच्छावर (सीहोर), गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज (रायसेन), वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन, कुण्डम (जबलपुर), निवास (मंडला), तामिया, पांहुर्ना, बिछुआ, हरई, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील छतरपुर, बिजावर (छतरपुर), पवई (पन्ना), सागर, राहतगढ़ (सागर), हटा, पथरिया (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, अमरपाटन (सतना), हनुमना, हुजूर (सीवा), पाली (उमरिया), सुबासराटप्पा (मन्दासौर), जावद (नीमच), कट्टीवाड़ा, उदयगढ़ चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), सरदारपुर, धार, धरमपुरी (धार), पानसेमल (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), सिलवानी (रायसेन), होशंगाबाद (होशंगाबाद), सीहोरा, मंझोली (जबलपुर), घुघरी (मंडला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, चौरई (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, धन्सौर, घनोरा (सिवनी), लांजी, बैहर, किरनापुर, खैरलांजी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील राजनगर, बक्स्वाहा (छतरपुर), रहली, गढ़ाकोटा, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़ (दमोह), रामपुर-बघेलान, उचेहरा, रामनगर (सतना), त्योंथर, सिरमोर (रीवा), सोहागपुर, ब्यौहारी, जैसिंहनगर, गोहपारू, बुढार (शहडोल), जेतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिहावल, मंझोली, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), जोवट, अलीराजपुर, सोण्डवा (अलीराजपुर), कुक्षी, मनावर, गंधवानी (धार), बड़वानी, राजपुर, पाटी (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), बाड़ी (रायसेन), पचमढ़ी (होशंगाबाद), बिछिया, नैनपुर, मंडला, नारायणगंज (मंडला), परासिया, सौंसर, चांद (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी), बालाघाट, वारासिवनी, लालबर्गा, बिरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील जैतपुर (शहडोल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी, जबलपुर व कटनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला सीधी में फसल अलसी व ग्वालियर, छतरपुर, कटनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला धार में फसल सोयाबीन मुरैना, सीधी में धान, उड़द, मूंग, झाबुआ में मक्का, सोयाबीन व मुरैना, इन्दौर, सीहोर में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस 2.6				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन सुथरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रैन 6.0 }				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) धान, ज्वार, मूँग, उर्दा, मूँगफली, तिल, अरहर- समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	20.0				
4. टीकमगढ़	5.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	3.0				
7. ओरछा	3.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	23.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	2.0		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	53.0				
5. राजनगर	105.6				
6. बिजावर	51.0				
7. बड़ामलहरा	10.2				
8. बक्सवाहा	83.6				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	2.6		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	27.2				
4. पवई	40.0				
5. शाहनगर	13.1				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	2.4		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	1.6		(2) ..		
3. बण्डा	25.0				
4. सागर	36.8				
5. रेहली	97.0				
6. देवरी	17.0				
7. गढ़ाकोटा	62.6				
8. राहतगढ़	37.0				
9. केसली	8.5				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	96.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	43		4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूँग, मक्का, गन्ना, मूँगफली, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	139		(2) . .		
3. दमोह	2				
4. पथरिया	41				
5. जवेरा	11				
6. तेन्दूखेड़ा	22.6				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . . .
1. रघुराजनगर	42.1		4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूँग, तिल, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगावां	45.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	57.0				
4. नागौद	10.0				
5. उचेहरा	59.0				
6. अमरपाटन	45.0				
7. रामनगर	61.0				
8. मैहर	30.0				
9. बिरसिंहपुर	20.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ल्यौथर	91.0		4. (1) उड़द, मूँग अधिक. धान, सोयाबीन कम. तुअर, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	135.0		(2) . .		
3. मऊगंज	27.0				
4. हनुमना	45.1				
5. हुजूर	46.0				
6. गुढ़	4.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	26.2				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	118.0		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, को.-कू, तुअर, तिल, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	95.0		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	115.0				
4. गोहपारू	151.0				
5. जैतपुर	270.0				
6. बुढार	111.3				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	80.6		4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों-कुटकी सुधरी हुई. मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	63.7		(2) . .		
3. कोतमा	134.4				
4. पुष्पराजगढ़	184.5				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	65.0		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूँग, तिल, ज्वार अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	45.0		(2) . .		
3. मानपुर	122.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की जुताई एवं अलसी की बोनी का व धान, उड़द, मूँग की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	134.4		4. (1) अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	66.0		(2) . .		
3. मझौली	136.4				
4. कुसमी	122.0				
5. चुरहट	76.8				
6. रामपुरनैकिन	62.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	42.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	4.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	5.0				
4. गरोठ	1.5				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	17.0				
7. सीतामऊ	2.0				
8. धुंधड़क्का	7.0				
9. संजीत	10.0				
10. कयामपुर	..				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	37.0		4. (1) मक्का, उड़द, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	13.0		मूँगफली, मूँग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	25.0		धान कम. ज्वार समान.		
			(2) ..		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. *जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नोद	. . .				
6. खातेगांव	. .				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली, धान, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जोवट	58.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	55.0		(2) . .		
3. कट्टीवाड़ा	48.0				
4. सोंडवा	59.0				
5. उदयगढ़	35				
6. च. शेखर आ. नगर	43.0				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	19.2		4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	40.0		(2) . .		
3. धार	47.7				
4. कुशी	110.5				
5. मनावर	105.0				
6. धरमपुरी	40.0				
7. गंधवानी	108.0				
8. डही	21.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	15.0		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	17.0		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	1.4				
5. गोगावां	6.0				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	4.1				
8. भीकनगांव	1.0				
9. झिरन्या	4.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	59.6		4. (1) गन्ना, मक्का. अधिक ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. ठीकरी	11.0		(2) ..		
3. राजपुर	54.0				
4. सेंधवा	5.0				
5. पानसेमल	43.0				
6. पाटी	73.0				
7. निवाली	11.0				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	19.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	51.0		(2) ..		
3. नेपानगर	70.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..		
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	16.4		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	10.0		(2) ..		
3. आष्टा	6.0				
4. जावरा	11.0				
5. इछावर	28.0				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	14.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	2.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, मूँगफली, तिल, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ...
2. गैरतगंज	20.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	24.0				
4. गोहरगंज	32.0				
5. बरेली	7.8				
6. सिलवानी	44.4				
7. बाड़ी	63.0				
8. उदयपुरा	15.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	10.5		4. (1) तुअर, उड़द अधिक. मूँगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	37.5		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	15.0				
6. पिपरिया	12.2				
7. बनखेड़ी	18.9				
8. पचमढी	85.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	5.2		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	41.0		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों- कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	30.4		(2) ..		
3. जबलपुर	14.4				
4. मझोली	47.9				
5. कुण्डम	21.8				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
46. *जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5.	7.	..
1. गाडरवारा	..			4. (1)	..	6.	8.	..
2. करेली	..			(2)	..			
3. नरसिंहपुर	..							
4. गोटेगांव	..							
5. तेंदूखेड़ा	..							
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
1. निवास	22.6			4. (1) धान, मक्का, सन, को कुटकी,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. बिछिया	82.8			तुअर, उड़द, तिल.		चारा पर्याप्त.		
3. नैनपुर	66.0			(2)	..			
4. मण्डला	92.8							
5. घुघरी	43.9							
6. नारायणगंज	71.3							
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5.	7.	..
1. डिण्डोरी	..			4. (1)	..	6.	8.	..
2. शाहपुरा	..			(2)	..			
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
1. छिंदवाड़ा	39.2			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. जुन्नारदेव	51.6			(2)	..	चारा पर्याप्त.		
3. परासिया	82.5							
4. तामिया	32.0							
5. सोंसर	114.0							
6. पांडुर्णा	28.1							
7. अमरवाड़ा	17.4							
8. उमरेठ	22.8							
9. चौरई	50.0							
10. चाँद	96.8							
11. बिछुआ	23.6							
12. हरई	23.0							
13. मोहखेड़ा	20.4							
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
1. सिवनी	60.40			4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का,		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. केवलारी	45.80			तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली,		चारा पर्याप्त.		
3. लखनादोन	45.50			तिल, सोयाबीन, सन,				
4. बरघाट	56.30			गन्ना समान.				
5. कुरई	120.0			(2) उपरोक्त फसलें समान.				
6. घंसोर	42.0							
7. घनोरा	34.10							
8. छपारा	83.0							
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.	
1. बालाघाट	64.4			4. (1)	..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. लाँजी	37.2			(2)	..	चारा पर्याप्त.		
3. बैहर	45.0							
4. वारासिवनी	96.7							
5. कटंगी	8.7							
6. किरनापुर	39.7							
7. खैरलाँजी	46.0							
8. लालबर्बा	82.0							
9. बिरसा	135.0							
10. परसवाड़ा	48.6							

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, उज्जैन, खंडवा, राजगढ़, नरसिंहपुर, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(657)